

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-25/2015-278(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।

विषय : बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2015-16 में 9.00 करोड़ (नौ करोड़) रुपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-282 दिनांक-09.03.2016 द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2015-16 में 9.00 करोड़ (नौ करोड़) रुपये सहायतानुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹4,48,20,000 (चार करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1- उपशीर्ष- 0216- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विपत्र कोड-P2401001090216, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹86,40,000 (छियासी लाख चालीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विपत्र कोड-P2401007890203, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से केन्द्रांश मद का ₹5,40,000 (पाँच लाख चालीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष- 0231- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विपत्र कोड-P2401007960231, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹2,98,80,000 (दो करोड़ अन्तानवे लाख अस्सी हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1- उपशीर्ष- 0316- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401001090316, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹57,60,000 (सन्तावन लाख साठ हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007890303, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

रुप

21/3/16

7. उपरोक्त ₹9,00,00,000 (नौ करोड़ रु०) मात्र में से राज्यांश मद का ₹3,60,000 (तीन लाख साठ हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-1- उपशीर्ष- 0331- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०) विपत्र कोड-P2401007960331, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि. (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

9. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

[Signature]
(प्रमु जय) 31/6

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

278 (आवेदन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

278 (आवेदन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक बिहार, पटना/ मिशन निदेशक राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्प) बीज बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना / सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

278(ओवंत)

/कु., पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) महोदय, अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

कु.